संख्या-40/2016/794/52-1-16-01(80)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषय वित्तीय वर्ष् 2015-16 में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के उपयोगार्थ 02 मारूति सुजुकी सियाज गाड़ी क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5153/अ०स०क०नि०-निष्प्रयोज्य वाहन-वाहन क्रय/15, दिनांक 30.03.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मोटर गाड़ियों के क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू० 14.00 लाख से रू० 6.74 लाख (रू० छः लाख चौहत्तर हजार मात्र) की दर से अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के उपयोगार्थ 02 मारूति सुजुकी सियाज गाड़ी क्रय किये जाने तथा एसेसरीज हेतु अनुमति प्रदान करते हुए कुल रू० 13.48 लाख (रू० तेरह लाख अडतालीस हजार मात्र) अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- उपरोक्त वाहनों को क्रय करने के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी शासनादेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी तरह की अनियमितता के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं- 001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

http://Shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी सं0-639, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-794(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
6- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउदद्दीन)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

Unicode Polytechnic G.O